

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1अम्बेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास, जयपुर

क्रमांक एफ.1(8)सामान्य/सान्याअवि/2026/02588

जयपुर, दिनांक:—यथा ई हस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 39/Misc-2/IGR Committee/2020/SSW-I दिनांक 29.07.2020 की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की सेवा एवं जाति आधारित शिकायतों के निराकरण के लिए **"आंतरिक शिकायत निवारण समिति"** का निम्नानुसार गठन किया जाता है:—

क्र.सं	नाम अधिकारी मय पदनाम	पद	कार्यालय
01	श्री पंकज कुमार ओझा, अतिरिक्त निदेशक	अध्यक्ष	निदेशालय सान्याअवि जयपुर
02	श्री सुआलाल पहाडिया, संयुक्त निदेशक	सदस्य	निदेशालय सान्याअवि जयपुर
03	श्री संदीप कुमार, उप निदेशक	सदस्य	निदेशालय, बाल अधिकारिता विभाग जयपुर
04	डॉ भावना भगत, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य	निदेशालय सान्याअवि जयपुर
05	श्री सतीश कुमार, अधिवक्ता	सदस्य	निदेशक, सेंटर फॉर दलित राइट जयपुर (NGO)

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)_{IAS}

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ.1(8)सामान्य/सान्याअवि/2026/02588

जयपुर, दिनांक:—यथा ई हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. उप सचिव (जेपीएन) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज.।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि, जयपुर।
7. संबंधित को पालनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव